रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266519
SG-DL-E-29092025-266519

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 250
No. 289]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947	[N. C. T. D. No. 250

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस–III) विभाग

आदेश

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

सं0फा0 3ध07/हेस्मा/2016/गृह पुलिस– II/1332-1343.—जबकि, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 21.03.2025 के आदेश सं0 फा0 3/07/हेस्मा/2016/गृह पुलिस–II/ 476-488 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर ग्रांउड हैंडलिंग की सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के रूप में घोषित किया था तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के लिए उक्त सेवाओं को आवश्यक बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने वाले दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के कर्मचारियों के हड़ताल को प्रतिबंधित करते हैं। उक्त आदेश दिनांक 23.09.2025 तक वैध है ।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगे इस बात से संतुष्ट हैं कि जनहित में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर ग्रांउड हैंडलिंग की सेवाएं प्रदान करने वाले दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के कर्मचारयों द्वारा की जाने वाली हड़ताल/आन्दोलन को प्रतिबंधित करना आवश्यक एवं समीचीन है ।

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.7.1993 की अधिसूचना सं0 जीएसआर 526(ई) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवाएं रखरखाव अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं0 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 खण्ड – (ii) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा आदेश देते हैं कि उपर्युक्त सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं माना जाए तथा आईजीआईए पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवाएं प्रदात्ता के सभी कर्मचारियों के साथ–साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदात्ता दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर दिनांक 24.09.2025 से 23.03.2026 तक और छः माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम परए
संजीव कुंडू, उप सचिव (गृह–III)

HOME (POLICE-III) DEPARTMENT

ORDER

Delhi, the 22 th Setember, 2025

F. No. 3/07/HESMA/2016/HP-II/1332-1343.— Whereas, vide Home Department, Govt. of NCT of Delhi order No. F. 3/07/HESMA/2016/HP-II/**476-488** dated 21.03.2025, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi declared the services of Ground Handling at Indira Gandhi International Airport, Delhi as essential services and prohibited the strike of all employees of the Ground Handling Service Provider at the IGIA, Delhi as well as the employees of Delhi International Airport Ltd who provide the services of ground handling at Indira Gandhi International Airport, Delhi, for maintaining the said services necessary for the people in the National Capital Territory of Delhi. The said notification is valid up to 23.9.2025.

And whereas, the Lt. Governor, Delhi of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the public interest, it is necessary and expedient to prohibit the strike/agitation by the employees of Delhi International Airport Ltd who provide the service of ground handling at Indira Gandhi International Airport.

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 clause (ii) read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526 (E) dated 30.7.93, hereby orders that the above said services as essential services and prohibits the strike by all employees of the Ground Handling Service Provider at the IGIA as well as the employees of Delhi International Airport Ltd who provide the services of ground handling at Indira Gandhi International Airport, Delhi for another period of six months w.e.f. 24.09.2025 upto 23.03.2026.

By Order and In the Name Of the Lt. Governor
of The National Capital Territory of Delhi.
SANJEEV KUNDU, Dy. Secy. (Home-III)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.29 16:32:06 +05'30'